बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

विषय :– राज्य में सरकारी सेवाओं/पदों का वर्गीकरण ।

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक– 511 दिनांक– 22.02.2011 द्वारा राज्य में सेवाओं एवं पदों का वर्गीकरण निम्नरूप में किया गया था –

क्रमांक	पदों का विवरण	पदों का वर्गीकरण
(1)	(क) शीर्षस्थ वेतनमान (80000 नियत) और उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड जमा वेतनमान (75500–80000 रु0) में कोई सिविल पद, और (ख) निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला कोई सिविल पदः– 37400–67000/–रुपये के वेतनमान में वेतन बैंड–4 में 12000/–रुपये, 10000/–रुपये, 8900/–रुपये और 8700/–रुपये तथा 15600–39100/–रुपये के वेतनमान में वेतन बैंड 3 में 7600/–रुपये, 6600/–रुपये और 5400/–रुपये।	समूह 'क'
(2)	निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला कोई सिविल पदः– 9300–34800/– रुपये के वेतनमान में वेतन बैंड–2 में 5400/–रुपये, 4800/–रुपये, 4600/–रुपये और 4200/–रुपये।	समूह 'ख'
(3)	निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला कोई सिविल पदः– 5200–20200/– रुपये के वेतनमान में वेतन बैंड–1 में 2800/–रुपये, 2400/–रुपये, 2000/–रुपये, 1900/–रुपये और 1800/–रुपये।	समूह 'ग'
(4)	निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला कोई सिविल पदः– 4440–7440/रुपये के वेतनमान में 1 एस वेतनमान में 1300/–रुपये, 1400/–रुपये, 1600/–रुपये और 1650/–रुपये।	समूह 'घ'

2. भारत सरकार द्वारा सप्तम वेतन पुनरीक्षण किये जाने के फलस्वरूप उक्त संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा गठित वेतन आयोग की अनुशंसा पर सम्यक् विचारोपरान्त वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 3590 दिनांक 24.05.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किये गये वेतन पुनरीक्षण एवं भारत सरकार की सेवाओं/पदों के वर्गीकरण संबंधी कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के आदेश संख्या 3578(ई.) दिनांक– 09.11.2017 के आलोक में राज्य सरकार के अधीन पदों को निम्नांकित रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है:–

क्रमांक	पदों का विवरण	पदों का वर्गीकरण
(1)	पुनरीक्षित वेतन स्तर संरचना में स्तर –11 से स्तर– 14	समूह 'क'
(2)	पुनरीक्षित वेतन स्तर संरचना में स्तर –06 से स्तर– 09	समूह 'ख'
(3)	पुनरीक्षित वेतन स्तर संरचना में स्तर –01 से स्तर– 05	समूह 'ग'
(4)	पुनरीक्षित वेतन स्तर संरचना में स्तर (–1) तथा अन्य स्तर (पे–मैट्रिक्स के स्तर 1 से 14 को छोड़कर)	अवर्गीकृत समूह

टिप्पणी– अखिल भारतीय सेवाओं के सभी पद समूह 'क' में समझे जायेंगे।

3. (i) उपर्युक्त कंडिका–2 के अनुरूप पुनर्वर्गीकरण के फलस्वरूप राज्य सरकार के अधीन समूह 'घ' का कोई पद नहीं रहेगा। फलतः **"बिहार समूह 'घ' (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2010" (समय–समय पर यथासंशोधित)** में जहाँ कहीं भी **समूह 'घ'** अथवा **'अनुसेवक/**

आदेशपाल/चपरासी' शब्द का प्रयोग किया गया है, वह **"कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट)"** शब्द द्वारा प्रतिस्थापित समझा जायेगा।"

(ii) यदि किसी सेवा/संवर्ग की नियमावली में वर्गीकरण संबंधी उपर्युक्त कंडिका–2 से भिन्न कोई प्रावधान हो तो प्रशासी विभाग उसे उपर्युक्त के अनुसार संशोधित कर लेंगे।

4. संबंधित नियमावली में उपर्युक्त कंडिका–3 के अनुरूप संशोधन किये जाने हेतु राज्य मंत्रिपरिषद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस प्रस्ताव में राज्य मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है। प्रशासी विभाग मात्र विधि विभाग से विधिक्षा कराकर नियमावली में वर्गीकरण सम्बंधी संशोधन संकल्प के निर्गमन की तिथि के प्रभाव से कर सकेंगे। परन्तु जबतक संबंधित नियमावलियों में ऐसा संशोधन नहीं हो जाता है तबतक के लिए उपर्युक्त कंडिका–2 के अनुसार पुनर्वर्गीकरण लागू समझा जायेगा।

5. यह तुरत प्रवृत होगा।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(राजेन्द्र राम) 1/6/18
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–3/एम0 1–1099/90 सा0 7291/ **पटना, दिनांक** 1·6·18

प्रतिलिपि – ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को, बिहार, पटना राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र राम) 1/6/18
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–3/एम0 1–1099/90 सा0 7291/ **पटना, दिनांक** 1·6·18

प्रतिलिपि – राज्यपाल, बिहार के सचिव/महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र राम) 1/6/18
सरकार के अपर सचिव।